



नगर पंचायत, हबीबपुर

भवन अनुज्ञा

बिहार भवन उपविधि सं०- 8(4)



पत्रांक-658/न०प०ह०

दिनांक-10/08/2024

आपके आवेदन सं०- 01, दिनांक-08.07.2024 के सन्दर्भ में श्री हसन मजीद व हाईवे एण्ड हाईडेल प्रा०लि०, पिता- श्री अब्दुल मजीद के लिए-

खसरा-303/254, खाता-271/05, शहर- हबीबपुर, मोहल्ला- हबीबपुर, वार्ड नं०-07 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है-

1. भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय एवं वाणिज्य प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 343.05 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 18.30 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम सम सुगम्य होगी।
5. प्रश्नगत भूमि आवेदकों के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हों।
6. सडक को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजनों तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर पंचायत हबीबपुर आयोजना क्षेत्र में 3 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
7. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
8. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
9. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
10. बिहार भवन उपविधि-2014(बिहार भवन संशोधन उपविधि-2022 द्वारा यथासंशोधित) के अनुसार निर्माण किया जायेगा।
11. कोई अन्य शर्तें।

कार्यपालक प्रसाधिकारी

नगर पंचायत, हबीबपुर।

Kuddeep Kumar
10/08/24.